(23)

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः– *जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।*

प्रस्ताव परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

ह0

प्रयोक्ता एजेन्सी

समन्वयक/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

नोट :– उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

107

संख्या— 746 / XLI-1 / 2013—74 / 13

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 8 अगस्त, 2013

विषय— जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार <u>15 दिन</u> के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक—यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, चमोली को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

C:\Users\MIS-2\Desktop\Ritesh-US Sir\Director Technical\Letter Director.doc ritesh 253

संख्या–1287 / XLI-1 / 2013–107 / 13

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांकः 03 मार्च, 2014

विषयः– **राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 20 राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून द्वारा संकलित रूप से गठित विस्तृत आगणन ₹6195.22 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत/अनुमोदित आगणन सिविल कार्य हेतु–₹765.62 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹5346.69 लाख अर्थात कुल ₹6112.31 लाख (रूपये इकसठ करोड़ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, ₹1441.35 लाख (रूपये चौदह करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति अधोल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	राजकीय पॉलीटेक्निक का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन (लाख ₹ में)		
		सिविल कार्य	अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य	कुल संस्तुत आगणन
1	2	3	4	5
1.	सतपुली (पौडी)	36.34	245.03	281.37
2.	गोपेश्वर (चमोली)	43.17	285.89	329.06
3.	बड़कोट(उत्तरकाशी)	40.57	288.20	328.77
4.	पंतनगर (उधमसिंहनगर)	32.80	237.09	269.89
5.	द्वौनलिया(अल्मोड़ा)	38.28	279.94	318.22
6.	मल्लासालम (अल्मोड़ा)	38.28	287.02	325.30
7.	गरूड़ (बागेश्वर)	40.31	267.45	307.76
8.	काण्डा(बागेश्वर)	40.31	266.99	307.30
9.	कुलसारी (चमोली)	41.94	294.51	336.45
10.	पोखरी (चमोली)	41.55	281.13	322.68
11.	गैरसैण(चमोली)	39.41	295.28	334.69
12.	जाखणीधार (टिहरी)	38.30	257.99	296.29
13	ओखला प्रतापनगर (टिहरी)	41.34	289.60	330.94
14.	गजा (टिहरी)	36.32	248.95	285.27
15.	भलस्वागाज (हरिद्वार)	34.42	235.47	269.89
16.	खटीमा(उधमसिंहनगर)	33.03	236.86	269.89
17.	टनकपुर (चम्पावत)	33.03	236.86	269.89
18.	दनिया (अल्मोड़ा)	37.50	277.58	315.08

--------2

1	2	3	4	5
19.	चोपता (रूद्रप्रयाग)	40.14	303.54	343.68
20.	क्वांसी चकराता (देहरादून)	38.58	231.31	269.89
	कुल योग–	**765.62**	**5346.69**	**6112.31**

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पद मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ठियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की दशा में आंगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य कें सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(11) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) मैदानी क्षेत्र में प्रस्तावित 6 पॉलीटेक्निक यथा रा0पा0 पंतनगर (उधमसिंहनगर), रा0पा0 भलस्वागाज (हरिद्वार), रा0पा0 खटीमा (उधमसिंहनगर) तथा रा0पा0 टनकपुर (चम्पावत) मैदानी क्षेत्र में हैं, इनमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाओं को सिविल स्ट्रक्चर में तथा क्लास रूम आदि को Pre engineering structure में तैयार कराया जायेगा। यदि सिविल कार्य से लागत में वृद्धि होती है, तो उसे टी0ए0सी0 से पुनः परीक्षण करा लिया जायेगा। जबकि अन्य पॉलीटैक्निक Pre engineered structure में ही तैयार कराया जाये।

(13) बाजार में Pre engineered structure Set के अलग–अलग मॉडल उपलब्ध हैं इसमें किसी एक मॉडल न लगा कर कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे मॉडल को लगाया जाये, ताकि भविष्य में इनकी गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके।

(14) सभी संस्थानों के भवनों के Common space/street light में L.E.D. light का प्राविधान किया जायेगा तथा Power backup के लिये Generator set का प्राविधान भी कर लिया जाये।

(15) निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व प्रथम चरण के सभी सुसंगत प्रकियात्मक कार्यों को पूर्ण करा लिया जाये।

(16) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो तथा Cost over run ना हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।

(17) उपरोक्त तालिका में अंकित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का वर्तमान में प्रस्तावित प्री–इंजीनियर्ड तकनीकी के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप आगणित धनराशि में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	रा0पा0 दनिया	8.94
2	रा0पा0 कुलसारी	9.73
3.	रा0पा0 खटीमा	9.73
4.	रा0पा0 सतपुली	7.45
5.	रा0पा0 प्रतापनगर	25.00
6.	रा0पा0 गजा	9.73
7.	रा0पा0चकराता क्वांसी	9.73
8.	रा0पा0 गैरसैण	9.73
9.	रा0पा0 गरूड	66.67

(18) विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि राज्यांश/केन्द्रांश के आधार पर आवंटित की जायेगी।

(19) प्रश्नगत निर्माण कार्यों की निरन्तर समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–आयोजनागत–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण–00–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–260(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनॉक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

-------4

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 देहरादून।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य / समन्वयक, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-3 / नियोजन अनुभाग।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1
संख्या : /XLI-1/2015–72/2013
देहरादून : दिनांक : 20 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री नरेश सिंह, विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलीटैक्निक, ताकुला (अल्मोड़ा), जिन्हें वर्तमान में नवसृजित राजकीय पॉलीटैक्निक, पोखरी (चमोली) का समन्वयक/नोडल अधिकारी नामित किया गया है, को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए राजकीय पॉलीटैक्निक, बेरीनाग (पिथौरागढ) में विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है।

2. श्री संजय यादव, व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस), राजकीय पॉलीटैक्निक, गोपेश्वर (चमोली) को अग्रिम आदेशों तक राजकीय पॉलीटैक्निक, पोखरी (चमोली) के समन्वयक/नोडल अधिकारी/प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में तैनात किया जाता है।

3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा श्री नरेश सिंह को तत्काल राजकीय पॉलीटैक्निक, पोखरी (चमोली) के समन्वयक/नोडल अधिकारी से अवमुक्त करते हुए नवीन तैनाती स्थान पर योगदान हेतु निर्देशित किया जाएगा।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे तथा संबंधित कार्मिकों द्वारा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उन्हें माह अप्रेल, 2015 का वेतन देय होगा।

(आर. के. सुधांशु)
सचिव।

संख्या : 311 (1)/XLI-1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली/पिथौरागढ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) को उनके पत्र संख्या 303/नि.प्रा.शि./शि.एवं जांच पोखरी/2015–16 दिनांक 17.4.2015 के क्रम में।
5. संबंधित प्रधानाचार्य।
6. संबंधित कार्मिक (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
उपसचिव।

30

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड श्रीनगर (गढ़वाल)।

पृ0सं0: 331-36 /नि0प्रा0शि0/शि0 एवं जांच पोखरी/2015–16 दिनांक 20, अप्रैल 2015

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक बेरीनाग (पिथौरागढ़)।
2. प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक ताकुला (अल्मोडा)।
3. समन्वयक/प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक पोखरी (चमोली)।
4. प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक गोपेश्वर (चमोली) को इस आशय के साथ प्रेषित कि श्री संजय यादव, व्या0 आई0टी0 को तत्काल नयी तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दें।
5. श्री नरेश सिंह, अध्यक्ष इलैक्ट्रोनिक्स, समन्वयक/नौडल अधिकारी को कार्य मुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि नयी तैनाती संस्था रा0पा0 बेरीनाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय का भेजें।
6. श्री संजय यादव, व्या0 आई0टी0, रा0पा0 गोपेश्वर, को इस आशय से प्रेषित कि नई तैनाती संस्था में तत्काल पदभार ग्रहण करें एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय का भेजें द्वारा प्रधानाचार्य

(देश राज)
संयुक्त निदेशक।

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा –2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

<u>परियोजना विवरणः–</u>

1.क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव–/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। *जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे0 अर्थात 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।*

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और – उसके आस –पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। *संलग्न है।*

ग) परियोजना की लागत– *322.68 लाख*

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य– राज्य व क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कराते हुये रोजगार के अवसर दिलाना।

ड़) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) – लागू नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है– राज्य व क्षेत्र के बच्चे सिविल, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार में नौकरी हेतु तैयार होंगे तथा भवन निर्माण, विद्युत निर्माण करने वाली कम्पनी में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण : एकेडिमिक भवन, प्रशासनिक भवन, कर्मशाला, छात्रावास, आवासीय भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है– शून्य
   क) परिवारों की संख्या–शून्य
   ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या– शून्य
   ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)– शून्य

4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986– के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? हां/नहीं) — नहीं।

5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण– और या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाा के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि पुनः वनीकण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है।

6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित– प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। — संलग्न है।

दिनांक 5-9-2016

स्थान– पोखरी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम– संजय यादव

मोहर

समन्वयक/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

प्रस्ताव की क्रम संख्या.........................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)